

भूमि का मूल्यांकन बराये वर्ष 2014-15 गांव सम्बन्धित उप-तहसील, मोरनी जिला पंचकुला।

क्र०सं०	नाम भोज	सडक के नजदीक रिहायशी तथा आबादी सहित प्रति बिस्वा	व्यवसायिक प्रति बिस्वा	चाही/कलाहू प्रति बिघा	बरानी,औबड,दोयम, औबड अच्चल ,प्रति बिघा	बंजर, प्रति बिघा	गैर मुमकिन पहाड, प्रति बिघा
1	भोज बालग	112000	----	172000	151000	120000	112000
2.	भोज जबयाल	135000	180000	195000	162000	140000	120000
3.	भोज धारटी	135000	180000	195000	162000	140000	120000
4	भोज मटौर	135000	180000	195000	162000	140000	120000
5.	भोज नगल	84000	----	172000	140000	120000	105000
6.	भोज पोन्टा	105000	----	172000	140000	120000	105000
7.	भोज पलासरा	84000	----	172000	140000	120000	105000
8.	भोज कुदाना	84000	----	172000	140000	120000	105000
9.	भोज राजपुरा	78000	----	172000	140000	120000	105000
10	भोज नाईटा	----	----	156000	140000	120000	105000
11	भोज टिपरा	----	----	156000	140000	120000	105000
12.	भोज कोटी	78000	----	156000	130000	120000	105000
13.	भोज धारडा	----	----	156000	130000	120000	105000
14.	भोज कोठी	----	----	156000	130000	120000	105000

नोट:- 1. यदि किसी व्यक्ति का भूमि खरीद पर राजस्व रिकार्ड के अनुसार पिछले 12 से 30 वर्ष तक बतौर गैर मरूसी मुजारा कब्जा चला आ रहा है और वही व्यक्ति कब्जे वाली

भूमि को खरीदता है,तो इस खरीद की कीमत उपरोक्त दर्शाई गई कीमत का 1/3 मानी जोएगी।

2 .यदि भूमि कृषि योग्य अथवा आबादी या सडक से 100 फुट की दरी पर है तो उस भूमि पर कृषि का कलौक्टर रेट निर्धारित होगा

3 तामिर शुदा मकानो का रेट पक्का 900/-प्रतिवर्ग फुट तथा कच्चा 600/-रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से होगा।

4. 5(पांच) वर्ष से पुराने मकान पर 1 प्रतिशत के हिसाब से छुट होगी।

उपमण्डल अधिकारी,
पंचकुला।

जिम्मा राजस्व अधिकारी,
पंचकुला,

तहसीलदार,
पंचकुला।

नायब तहसीलदार,
मोरनी

Collector, Panchkula